

सं. सी-22017/01/2014/समन्वय/प्रशा/ 888

दिनांक 26.03.2021

सेवा में

डा. शरद कुमार सिंघी  
28, विज्ञान विहार, प्रथम तल  
नजदीक यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स  
गली नं. 2  
एई दिल्ली-110092

विषय: केंद्रीय सेवा (चिकित्सा लाभ) नियम 1944 के अधीन नियमों एवं आदेशों के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों हेतु अधिकृत चिकित्सक रूप में नियुक्ति एवं नामांकन स्वीकार करने के संबंध में।

महोदय,

यह उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 17.02.2021 के पत्र के संदर्भ में है, यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय सेवा (चिकित्सा लाभ) नियम 1944 के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी आदेशों के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपको आगामी आदेशों तक निम्नलिखित नियम और शर्तों पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों हेतु एक अधिकृत चिकित्सक के रूप में नियुक्ति किया जाता है:

1. कि आप केंद्रीय सेवा (चिकित्सा लाभ) नियम 1944 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर परामर्श एवं इंजेक्शन शुल्क लेंगे।
2. कि आपके द्वारा केंद्रीय सेवा (चिकित्सा लाभ) नियम 1944 के अंतर्गत नियमों और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों का सख्ती के अनुपालन किया जाना अपेक्षित होगा।
3. कि आपकी नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताए अथवा पूर्व सूचना दिये बिना समाप्त कर दी जाएगी।
4. राज्य सरकार/केंद्र सरकार/सीजीएचएस/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा ए. एम. ए. की उक्त नियुक्ति आपके पंजीकरण की वैधता रजिस्ट्रेशन एन-डी एम सी/3273 (एम बी बी एस, एम एस (ENT) अरिष्ठ ENT सर्जन) का विषय है।

आपने अनुमोदित है कि जब भी आवश्यकता हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों और उनके परिवार के अधिकृत सदस्यों को अपनी सेवाएं प्रदान करें।

धन्यवाद

भवदीय

(रेखा नारंग)

प्रशासनिक अधिकारी (सम एवं चिकित्सा)

प्रतिलिपि:

1. श्री सुरज ताल, प्रा. पर्य : आप के पत्र दिनांक 26.03.2021 के संदर्भ में
2. प्रशासकीय क्लर्क एवं लेखा : सूचनार्थ हेतु
3. प्रशासकीय आइ. टी. इभास : के प्र नि बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के हेतु